FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त...मुकाम...

रामाराम वगैरा ....बनाम........ हनुमानराम वगैरा

म मुकदमा........ राजस्व आवेदन ....नं. 362/19 ....सन् 2019........

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/12/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RCR राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 6/1/2020 को पेश हो। विवेक व्यास 11.12.2019 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
06/01/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया / विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित / न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 05/02/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक ... (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:55:55 IST
Reason: SelfAttested

05/02/2020

प्रार्थी व वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित।
प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी।
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणो के खातेदारी खेत पास-पास आये हुए है। तथा खातेदारी खेतो के मध्य जो पुरानी मेड व डोली आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो का सही ज्ञान नही हो पा रहा है। बरसात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी खेत में काश्त कर लेते है जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणो के मध्य खेत के मेढ़ो को लेकर विवाद व तनाजा हमेशा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की पक्की पैमाबंदी करवाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की पैमाबंदी मौके पर कमिश्नर मुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (GDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:55:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 61 दिनांक:– 11/2/2020

राजस्व आवेदन संख्या – 262 / 19

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री रामाराम पुत्र पोकरराम वगैरा 2 जाति–जाट, निवासी–रामपुरा, बाटाडू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

श्री हनुमानराम पुत्र रतनाराम वगैरा 14 निवासीयान्– रामपुरा, बाटाडू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा रामपुरा पटवार हल्का बाटाडू के खेत खसरा नम्बर 1559 रकबा 32.17 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:– 11/2/2020

क्रमांक / वाद / 2019 / 62–66

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रामाराम पुत्र पोकरराम वगैरा 2।
4. विप्रार्थीगण श्री हनुमानराम पुत्र रतनाराम वगैरा 14।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:55:55 IST
Reason: SelfAttested